परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 29 जुलाई 2014 पर आधारित है।

परियोजना डेटा शीट

परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त सूचना होती है। चूंकि पीडीएस एक प्रगति अधीन कार्य होता है, कुछ सूचनाएं इसके प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं हो सकती हैं, परंतु इनके उपलब्ध होने पर शामिल कर ली जाएंगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनन्तिम और संकेतात्मक है।

पीडीएस सृजन तिथि	–
पीडीएस अद्यतनीकरण की तिथि	18 जुलाई 14

परियोजना का नाम	राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम
देश	भारत
परियोजना/कार्यक्रम संख्या	42267-026
स्थिति	अनुमोदित
भौगोलिक अवस्थिति	–

इस प्रलेख में किसी कंट्री कार्यक्रम या रणनीति तैयार करने, किसी परियोजना के वित्तपोषण, अथवा किसी विशेष भूभाग अथवा भौगोलिक क्षेत्र को कोई पदनाम देने, अथवा संदर्भित करने में एशियाई विकास बैंक का आशय किसी भूभाग अथवा क्षेत्र की स्थिति के बारे में कानूनी या अन्य प्रकार से राय प्रकट करना नहीं है।

क्षेत्र तथा/अथवा उपक्षेत्र वर्गीकरण	जल आपूर्ति और अन्य नगरीय अवसंरचना तथा सेवाएं/जल आपूर्ति और सैनीटेशन
विषयगत वर्गीकरण	–
लिंग मुख्यधारा में जोड़ने वाले संवर्ग	–

वित्तपोषण

सहायता का प्रकार/रूपात्मकता	अनुमोदन संख्या	वित्तपोषण का स्रोत	अनुमोदित राशि (हजार)
ऋण	–	साधारण पूंजी संसाधन	250,000
ऋण	–	साधारण पूंजी संसाधन	150,000
–	–	प्रतिपक्ष	110,000
योग			यूएस **$ 510,000**

संरक्षा संवर्ग

संरक्षा संवर्गों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories देखें

पर्यावरण	ख
अस्वैच्छिक पुनर्वास	ख
स्वदेशी लोग	ग

पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

पर्यावरण–पहलू

परियोजना के संबंध में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पूर्वानुमानित नहीं हैं। परियोजना अवस्थितियां संरक्षित क्षेत्रों के बाहर अवस्थित हैं तथा निर्माण के प्रभावों का उपशमन संविदा दस्तावेजों के अंश के रूप में ईएमपी'ज के कार्यान्वयन के माध्यम से किया जाएगा। नीति–आधारित ऋण के सामाजिक सुरक्षोपाय प्रभाव पूर्वानुमानित नहीं हैं।

अस्वैच्छिक पुनर्वास

परियोजना में स्थायी भूमि अधिग्रहण अथवा भौतिम विस्थापन शामिल नहीं है। इस घटक से सीमित पुनर्वास प्रभाव पड़ने का पूर्वानुमान लगाया गया है क्योंकि सुविधाओं का निर्माण उपनगरों के सीमान्त क्षेत्रों में किया जाएगा, जहां बहुत कम संख्या में लोग बसे हैं अथवा व्यवसाय करते हैं। नीति–आधारित ऋण के सामाजिक सुरक्षोपाय प्रभाव पूर्वानुमानित नहीं हैं।

स्वदेशी लोग

स्वदेशी लोगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पूर्वानुमानित नहीं हैं क्योंकि एसडीपी का फोकस शहरी क्षेत्रों पर है।

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान

परियोजना क्षेत्रों में समुदायों के साथ सार्थक और व्यापक परामर्श किया जाएगा।

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान

परियोजना के तहत प्रतिभागी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन क्षेत्रीय पीएमयू स्तर पर सामाजिक विकास अधिकारी, केन्द्रीय स्तर पर सीएपीपी परामर्शदाता और शहर स्तर पर स्थानीय एनजीओ'ज की सहायता से किया जा रहा है।

विवरण

प्रस्तावित राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान राज्य के निवासियों के लिए जल आपूर्ति और अपशिष्ट जल सेवाओं के सुधार हेतु राजस्थान सरकार के विगत और वर्तमान प्रयासों का अनुपूरक होगा। कार्यक्रम घटक से नीति सुधारों की सहायता की जाएगी, जिसमें राज्य में शहरी जल क्षेत्र में संस्थानिक विकास और व्यवस्था सुधार शामिल हैं ; जबकि निवेश घटक के जरिये राज्य में छह परियोजना नगरों में जल वितरण नेटवर्क तथा मलव्यवस्था प्रणालियों में निवेश किया जाएगा।

परियोजना तर्काधार और कंट्री/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध

प्रस्तावित राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम देश भागीदारी रणनीति में चिन्हित प्राथमिकताओं के सर्वथा अनुरूप हैं तथा इससे देश की शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। प्रस्तावित निवेश भारत की देश परिचालन व्यवसाय योजना में शामिल किया गया है। सुधार कार्यक्रम का फोकस संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण तथा सुधारों को कार्य रूप में परिणित करने पर होगा, जो नीति, संस्थानिक, विधिक, वित्तीय और विनियामक संरचना में बड़े पैमाने पर समायोजनों के लिए आवश्यक हैं। नीति–आधारित ऋण राजस्थान सरकार को इन सुधारों के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा, जो नगर निकायों, व्यक्तिगत परिवारों तथा निजी क्षेत्र के निवेशकों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों की सामर्थ्य के उपयोग का द्वार खोलेगा। परियोजना ऋण परियोजना शहरों में उत्पादकता में वृद्धि तथा विभिन्न अन्य स्रोतों से वित्त जुटाने वाले उत्प्रेरक निवेशों हेतु मददगार होगा। इस परियोजना में जल आपूर्ति और अपशिष्ट जल प्रबंधन में नवोन्मेष भी लागू किए जाएंगे जैसेकि 24x7 जल आपूर्ति, गैर–राजस्व जल अवमंदन तथा प्रचालन संबंधी स्थिरता के लिए दीर्घावधि प्रचालन और अनुरक्षण युक्त निर्माण संविदाएं।

विकास प्रभाव

राजस्थान में स्थायी शहरी विकास

परियोजना परिणाम

परिणाम का वर्णन	परिणाम की दिशा में प्रगति
राजस्थान में शहरी सेवा प्रदायगी में सुधार	–

आउटपुट्स और कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का वर्णन	कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां और मुद्दे)
छह परियोजना शहरों में शहरी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण शहरी व्यवस्था में सुधार जल आपूर्ति प्रणाली का पुनरूद्धार और विस्तार छह परियोजना शहरो में अपशिष्ट प्रणाली का पुनरूद्धार और विस्तार क्षमता निर्माण और दक्ष कार्यक्रम प्रबंधन	–

विकास उद्देश्यों की स्थिति	महत्वपूर्ण परिवर्तन
–	–

व्यवसाय के अवसर

प्रथम सूचीयन की तिथि	16 जून 14

परामर्शी सेवाएं

राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरयूएसडीपी) में दो परामर्शदाता फर्मों अर्थात परियोजना प्रबंधन, डिजाइन तथा निरीक्षण परामर्शदाता ; और समुदाय जागरूकता एवं प्रतिभागिता परामर्शदाता की नियुक्ति परामर्शदाताओं के उपयोग के विषय में एडीबी के मार्गदर्शी सिद्धांत (2013 समय समय पर संशोधित अनुसार) के अनुसार 90 : 10 के गुणवत्ता–लागत अनुपात के साथ गुणवत्ता– तथा लागत–आधारित चयन विधि द्वारा की जाएगी।

अधिप्राप्ति

सिविल निर्माणों का प्रापण एडीबी के प्रापण मार्गदर्शी सिद्धांत (2013 समय समय पर संशोधित अनुसार) के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

प्रापण और परामर्शी सूचनाएं

http://www.adb.org/projects/42267-026/business-opportunities

समयतालिका

अवधारणा मंजूरी	13 जून 14
तथ्य–अन्वेषण	30 अप्रैल 2014 से 14 मई 2014 तक
प्रबंध समीक्षा बैठक	7 अगस्त 14
अनुमोदन	–
नवीनतम समीक्षा मिशन	–

मीलपत्थर

अनुमोदन संख्या	अनुमोदन	हस्ताक्षर	प्रभावोत्पादकता	अनुमोदन समापन		
				मूल	संशोधित	वास्तविक
–	–	–	–	–	–	–

उपयोग

तिथि	अनुमोदन संख्या	एशियाई विकास बैंक (यूएस $ हजार)	अन्य (यूएस $ हजार)	शुद्ध प्रतिशत
संचयी संविदा पुरस्कार				
–	–	–	–	–
संचयी संवितरण				
–	–	–	–	–

प्रसंविदाओं की स्थिति

प्रसंविदाएं निम्नलिखित संवर्गों में वर्गीकृत की गई हैं –– लेखापरीक्षित परियोजना वित्तीय विवरण, सुरक्षा उपाय, सामाजिक, क्षेत्र, वित्तीय, आर्थिक और अन्य। प्रसंविदाओं अनुपालन का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर संवर्गों द्वारा किया जाता है : (i) संतोषजनक –– इस संवर्ग में सभी प्रसंविदाओं का अनुपालन किया जाता है, अधिकतम एक अपवाद के साथ, (ii) आंशिक संतोषजनक –– इस संवर्ग में अधिकतम दो प्रसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, (iii) असंतोषजनक –– इस संवर्ग में तीन या अधिक प्रसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, सार्वजनिक संचार नीति 2011 के अनुसार, परियोजना वित्तीय विवरणों हेतु प्रसंविदा अनुपालन मूल्यांकन केवल उन परियोजनाओं पर लागू होता है जिनका वार्तातय हेतु आमंत्रण 2 अप्रैल 2012 के पश्चात निर्धारित है।

अनुमोदन संख्या	संवर्ग						
	क्षेत्र	सामाजिक	वित्तीय	आर्थिक	अन्य	सुरक्षा उपाय	परियोजना वित्तीय विवरण
ऋण -	–	–	–	–	–	–	–

सम्पर्क और अद्यतन विवरण

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	मनोज शर्मा (msharma@adb.org)
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	शहरी विकास और जल प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक अभिकरण	–

सम्पर्क

परियोजना वेबसाइट	http://www.adb.org/projects/42267-026/main
परियोजना प्रलेखों की सूची	http://www.adb.org/projects/42267-026/documents